राजस्थान राज्य और अन्य।

बनाम

शंकर लाल परमार

(2011 की सिविल अपील संख्या 8404)

सितम्बर 30, 2011

[दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा, जे.जे.]

सेवा कानून;

चयन श्रेणी - पात्रता - का अनुदान राजस्थान सरकार कार्यालय आदेश दिनांक 24.7.1995, जिसमें प्रावधान किया गया है कि निंदा अर्जित करने वाले कर्मचारियों को चयन श्रेणी का अनुदान एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा -अभिनिर्धारित: कार्यालय आदेश दिनांक 24.7.1995 को अवैध, मनमाना, असंवैधानिक या कानून के अधिकार के बिना हो ऐसा नहीं कहा जा सकता - देवी सिंह के मामले में स्पष्ट किया गया - हालाँकि, राज्य सरकार संबंधित कर्मचारियों से वसूली करने की हकदार नहीं होगी - भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 14 – राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम प्रभाग)) कार्यालय आदेश दिनांक

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 14- कानून के समक्ष समानता - अवधारणा - व्याख्या - अभिनिर्धारित: वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने उन लोगों को चयन श्रेणी देने की अनुमति दी है जिनके पास अच्छा सेवा रिकॉर्ड था, लेकिन जिन लोगों ने निंदा अर्जित की थी, उन्हें एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकार, कर्मचारियों की दो श्रेणियों के बीच एक बुनियादी और मूलभूत अंतर है। यह स्पष्ट रूप से उचित वर्गीकरण की श्रेणी में आएगा - सेवा कानून -चयन श्रेणी का अनुदान

राजस्थान राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी और मंत्रिस्तरीय अधीनस्थ सेवाएँ और पृथक पद रखने वालों में स्थिरता के कारण कर्मचारियों को राहत देने के लिए, पहले कार्यालय आदेश दिनांक 25.1.1992 द्वारा, इन सेवाओं में सबसे निचले पदों के लिए चयन श्रेणी निर्धारित किए। पुलिस महानिदेशक के कार्यालय द्वारा जारी एक अनुवर्ती परिपत्र दिनांक 23.7.1992 में कहा गया कि चयन श्रेणी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 'निंदा' को असंतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के रूप में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। वित्त विभाग (नियम प्रभाग) द्वारा पुलिस महानिदेशक को जारी कार्यालय आदेश/पत्र दिनांक 24.7.1995 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी कर्मचारी ने 'निन्दा' अर्जित की है तो चयन श्रेणी का अनुदान एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। हालाँकि, अंतराल के दौरान कुछ कर्मचारियों को 'निंदा' अर्जित करने के बावजूद चयन श्रेणी का लाभ दिया गया था। चूँकि राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों से रकम

की वसूली शुरू कर दी, इसलिए उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गईं और उच्च न्यायालय द्वारा सबसे पहले देवी सिंह देवी सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। 2004(2) सीडीआर 925(राजस्थान) का मामला निर्णित किया गया। उक्त आदेश के आधार पर कर्मचारियों द्वारा कई मामले दायर किए गए और उच्च न्यायालय कर्मचारियों के दावों को स्वीकार करता रहा।

राज्य सरकार द्वारा दायर हस्तगत अपीलों में, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था: "क्या कोई कर्मचारी पहली बार में, 9 वर्ष पूरे होने के बाद, दूसरी बार, 18 साल पूरे होने के बाद और तीसरी आखिरी बार, 27 साल की सेवा पूरी होने के बाद, स्वचालित रूप से 'चयन श्रेणी' के अनुदान का हकदार होगा, भले ही उसने सेवा के पिछले वर्षों में निंदा अर्जित की हो?"

उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते अभिनिर्धारित किया गया

1.1. आदेश दिनांक 25.01.1992 के खंड 7 में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वही कर्मचारी चयन श्रेणी देने के हकदार होंगे, जिनकी सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है और वे अन्यथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं, लेकिन पदोन्नति का कोई चैनल नहीं होने या कैडर में स्वीकृत पदों की कमी के कारण इसे पाने में सक्षम नहीं हैं। परिपत्र दिनांक 23.07.1992 द्वारा उत्पन्न संदेह को कार्यालय आदेश दिनांक 24.07.1995 द्वारा स्पष्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि चयन

श्रेणी प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे मामले में जहां किसी कर्मचारी ने निंदा अर्जित की है, उसे भी उसकी पदोन्नति पर विचार करने में बाधा या रुकावट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अनुदान के लिए उसके मामले को एक वर्ष के लिए टाल दिया जाएगा। [पैरा 7 और 11] [770- सी; 772-बी-ई]

1.2. चयन श्रेणी की योजना के मद्देनजर, निंदा अर्जित करने वाले कर्मचारी को केवल एक वर्ष के लिए चयन श्रेणी प्रदान करने में बाधा होगी। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए थी, और प्रथम कार्यालय आदेश दिनांक 25.01.1992 को समझा जाना था। [पैरा 12] [772-एफ-जी]

1.3. देवी सिंह के मामले में जो निर्णय लिया गया वह यह था कि जिस कर्मचारी को पहले ही चयन श्रेणी का लाभ दिया जा चुका है, उसे इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना राज्य द्वारा ऐसे लाभ वापस नहीं लिए जा सकते। इस प्रकार, प्राथमिक और मूल रूप से, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर कर्मचारी के पक्ष में निर्णय लिया गया। हालाँकि, बाद में दायर किए गए मामले समान नहीं थे, लेकिन उन पक्षों के वकीलों के आकस्मिक और सामान्य दृष्टिकोण के कारण, जिन्होंने तर्क दिया और दिखाया कि मामले पूरी तरह से देवी सिंह के मामले के अनुरूप हैं, और इसलिए, प्रार्थना की गई कि उक्त मामलों को उस प्रकार ही निपटाया जाए। न्यायालय अपने विवेक से ऐसा करने के लिए आगे बढ़ीं। भीम सिंह बनाम

राजस्थान राज्य के मामले में देवी सिंह के मामले की भी पैरवी की गयी. (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3284/2005 का निर्णय 17.01.2007 को) और राज्य की एसएलपी को इस न्यायालय ने देरी के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे स्पष्ट रूप से कानून का प्रश्न खुला रह गया। [पैरा 14] [773-बी-ई]

देवी सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। 2004(2) सीडीआर 925(राजस्थान) संदर्भित।

2.1. इस न्यायालय के समक्ष यह विवादित नहीं है कि निंदा एक मामूली जुर्माना है और नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम जुर्माना है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस कर्मचारी ने निंदा अर्जित की है वह 9, 18 या 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वचालित रूप से पदोन्नति या संबंधित चयन श्रेणी का हकदार होगा। दिनाँक 27.7.1995 के बाद के कार्यालय आदेश/पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वे सभी कर्मचारी जिन्होंने सेवा में निंदा अर्जित की है, वे भी चयन श्रेणी के लिए पात्र होंगे, लेकिन इसे एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। यह बिल्कुल उचित और सही वर्गीकरण प्रतीत होता है, अन्यथा प्रत्येक कर्मचारी जिसकी छवि साफ है और दूसरा कर्मचारी, जिसकी निंदा की है, उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। सेवा न्यायशास्त्र में इसकी अनुमति नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 14

का भी उल्लंघन है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि "जैसे के साथ वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए"। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का अधिदेश और आदेश है, जिसका पालन करना आवश्यक है। [पैरा 18-20] [774-ई-एच; 775-ए-डी]

2.2. अनुच्छेद 14 में दो आवश्यक तत्व हैं:

(i) कानून के समक्ष समानता;

(ii) कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का अर्थ न्याय प्राप्त करना है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जबकि कानून के समान संरक्षण के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि समान लोगों के बीच, कानून को समान रूप से प्रशासित किया जा सके और समान रूप से स्थित व्यक्तियों को समान तरीके से व्यवस्थित रखा जा सके। राज्य के पास अभी भी विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर करने की शक्ति है। यह उचित वर्गीकरण और भेद के आधार पर सकारात्मक रूप से भेदभाव कर सकता है लेकिन यह एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को दूसरों से अलग करता है। [पैरा 21] [775-ई-एच]

2.3. मौजूदा मामले में, यह चयन श्रेणी प्रदान करने का प्रश्न है। चयन श्रेणी में अधिक वेतन होता है लेकिन समान पद पर। चयन श्रेणी सेवा में स्थिरता को दूर करने और परिणामस्वरूप अधिक दक्षता लाने के लिए बनाया गया था। राज्य ने उन लोगों

को चयन श्रेणी देने की अनुमति दी है जिनके पास अच्छा सेवा रिकॉर्ड था, लेकिन जिन लोगों ने निंदा अर्जित की थी, उनके लिए इसे एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकार, कर्मचारियों की दो श्रेणियों के बीच एक बुनियादी और मूलभूत अंतर है। यह स्पष्ट रूप से उचित वर्गीकरण की श्रेणी में आएगा जो संविधान के आदेश के अनुसार और समय-समय पर इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए विभिन्न निर्णयों के अनुसार स्वीकार्य है। अपीलकर्ता-राज्य ने सभी विवादों को शांत करते हुए दिनांक 24.07.1995 को कार्यालय आदेश/पत्र जारी करना पूरी तरह उचित किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि उत्तरदाताओं/कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव का कोई मामला बनाया गया है। उक्त कार्यालय आदेश/पत्र को अवैध, मनमाना, असंवैधानिक या कानून के अधिकार के बिना नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 22-23] [776-ए-एफ]

3. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश कानून में कायम नहीं रखे जा सकते हैं और इस प्रकार, उन्हें अपास्त किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, 1992 के बाद से राज्य में मौजूद विवादों को देखते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि

(i) अपीलकर्ता- राज्य पहले कार्यालय आदेश दिनांक के अनुसार कर्मचारियों को पहले से ही दिए गए वित्तीय लाभों की वसूली का हकदार नहीं होगा। 25.01.1992;

(ii) अपीलकर्ता-राज्य किसी भी राशि की वसूली का हकदार नहीं होगा जो कि दूसरे स्पष्टीकरण कार्यालय आदेश / पत्र दिनांक 24.07.1995 को जारी होने के बाद भी कर्मचारियों को भुगतान किया होगा, क्योंकि ऐसी राशि की वसूली के कारण कर्मचारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा;

(iii) जिन कर्मचारियों ने पिछले वर्षों में अपने सेवा रिकॉर्ड में निंदा अर्जित की है, वे 'चयन श्रेणी' में, उन लोगों के साथ जिनका रिकॉर्ड साफ़ और बेदाग हो, अनुदान के हकदार नहीं होंगे; इसके एक वर्ष बाद ही उन्हें 'चयन श्रेणी' प्रदान किया जाएगा।

(iv) कोई भी कर्मचारी जिसे उक्त अवधि से पहले पदोन्नत किया गया है, वह 'चयन श्रेणी' के अनुदान का हकदार नहीं होगा। [पैरा 24] [*776*- एच; *777*-ए-एफ]

केस कानून संदर्भ:

2004 (2) सीडीआर 925 (राजस्थान) पैरा 3 में संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः   सिविल अपील संख्या 8404/2011

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर 2008 के एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 8194 में 2010 के डीबीसीएसए संख्या 22 में के निर्णय और आदेश दिनांक 10.2.2010 से साथ

सीए। 2011 का नंबर 8405, 8406, 8414, 8407, 8408, 8409, 8410-8411

डॉ मनीष सिंघवी, एएजी, इरशाद अहमद, रणजी थॉमस और वी.एन. रघुपति अपीलार्थी की ओर से।

ऋषभ संचेती, टी. महिपाल, डॉ. मोनिका गुसैन, हरिओम यदुवंशी, एच. डी. थानवी, ऋषि मोटोलिया, सारद कुमार सिंघानिया और पुनीत जैन (प्रतिभा जैन के लिए) उत्तरदाता की और से।

न्यायालय का निर्णय दीपक वर्मा, जे. द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान और संबंधित अपीलों में हमारे विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई कर्मचारी स्वचालित रूप से, पहली बार में, 9 साल पूरे होने के बाद, दूसरे में 18 साल पूरे होने के बाद और तीसरी और आखिरी बार, 27 साल की

सेवा पूरी होने के बाद, 'चयन ग्रेड' पाने का हकदार होगा, भले ही उसने सेवा के पिछले वर्षों में निंदा अर्जित की हो।

3. वास्तव में, दिनांक 12.12.2003 को डिवीजन बेंच द्वारा सुनाए गए आदेश देवी सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। [2004 (2) सीडीआर-925 (राजस्थान)के मामले में में रिपोर्ट की गई], के आधार पर चयन ग्रेड के लिए पात्रता का दावा करते हुए कई मामले राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर की प्रधान पीठ और जयपुर की पीठ दोनों में दायर किए गए। दुर्भाग्य से, विद्वान न्यायाधीश, या तो एकल पीठ में बैठकर कर्मचारियों की रिट याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे या डिवीजन बेंच में, राज्य की रिट अपीलों की सुनवाई कर रहे थे, निर्णयों के औचित्य की ठीक से सराहना या ध्यान दिये बिना, एक रूढ़िवादी तरीके से कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएँ को अनुमति देते रहे और राज्य द्वारा की गई अपीलों को खारिज करते रहे। ऐसे सभी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से यह प्रतिबिंबित होता है कि देवी सिंह के मामले में फैसले को न केवल गलत तरीके से पढ़ा गया है, बल्कि गलत व्याख्या भी की गई है। वास्तव में, यह अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कर्तव्य था, जो उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उनको अंतर बताना था, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऐसा करने में विफल रहे, जिसके कारण गलत निर्णय हुए। यह विवाद काफी समय से इस न्यायालय

के समक्ष लंबित है, इसलिए, हम इसे एक तर्कसंगत निर्णय द्वारा, कमियों को दूर करने और शंकाओं को साफ करने के लिए उचित समझते हैं।

4. यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि भीम सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय ने देरी के आधार पर 06.01.2010 को खारिज कर दिया था। आदेश इस प्रकार है:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

विशेष अनुमति याचिका देरी और गुण-अवगुण के आधार पर खारिज की जाती है।

हालाँकि, कानून के प्रश्न को उचित मामले में निर्णय लेने के लिए खुला रखा गया है।"

चूंकि विशेष अनुमति याचिका देरी के आधार पर खारिज कर दी गई थी और कानून का प्रश्न स्पष्ट रूप से खुला छोड़ दिया गया था, इसलिए इन अपीलों को गुण-अवगुण के आधार पर तय करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उक्त विशेष अनुमति याचिका का निर्णय गुण-अवगुण के आधार पर नहीं किया गया था।

5. तत्काल मामले का निर्णय करने के लिए संक्षिप्त तथ्य सामग्री यहां नीचे दी गई है:

कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी, मंत्रिस्तरीय अधीनस्थ सेवाओं और अलग-अलग पद रखने वालों को राहत देने की दृष्टि से, इन सेवाओं में सबसे निचले पदों के लिए चयन ग्रेड निर्धारित किए गए थे, ताकि स्थिरता की समस्या का समाधान किया जा सके। इसी आशय से राजस्थान राज्य द्वारा प्रथम कार्यालय आदेश 25.01.1992 को जारी किया गया। इन अपीलों के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक उक्त आदेश की मुख्य और महत्वपूर्ण विशेषताएं यहां नीचे दी गई हैं:

"2.(i) पहला चयन ग्रेड उस दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई नौ साल की सेवा पूरी करेगा, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले एक भी पदोन्नति न मिली हो जैसा कि उसके मौजूदा कैडर में उपलब्ध है।

(ii) दूसरा चयन ग्रेड उस दिन के अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई व्यक्ति अठारह वर्ष की सेवा पूरी करता है, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले दो पदोन्नति न मिली हो जो कि उसके मौजूदा कैडर पर उपलब्ध थी और उसे पहला चयन ग्रेड रुपये 2200-4000 के वेतनमान से कम का दिया गया था।

(iii) तीसरा चयन ग्रेड उस दिन से प्रदान किया जाएगा जिस दिन कोई सत्ताईस वर्ष की सेवा पूरी करेगा, बशर्ते कि कर्मचारी को पहले या दूसरे चयन ग्रेड के रूप में, जैसा भी मामला हो, वेतनमान 2200-4000 रुपये से कम की तीन पदोन्नति नहीं मिली हो।

6. हमारे अवलोकन के लिए उक्त आदेश में एक अन्य महत्वपूर्ण और प्रासंगिक खंड 7 है, जिसे यहां नीचे भी पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"7. इस आदेश के अनुसार चयन ग्रेड केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिए जाएंगे जिनकी रिकॉर्ड सेवा संतोषजनक है। सेवा का रिकॉर्ड जो किसी को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र बनाता है, उसे चयन ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से संतोषजनक माना जाएगा।"

7. खंड 7 यह स्पष्ट करता है कि केवल वे कर्मचारी ही चयन ग्रेड लेने के हकदार होंगे, जिनका सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है और अन्यथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं, लेकिन पदोन्नति का कोई भी माध्यम न होने से या संवर्ग में स्वीकृत पदों की कमी होने से इसे पाने में सक्षम नहीं रहे हैं।

8. अपीलकर्ता-राज्य के एक अन्य विभाग, पुलिस महानिदेशक (राजस्थान) के कार्यालय ने अपने विवेक से स्थिति को और स्पष्ट करना उचित समझा और

23.07.1992 को एक और परिपत्र जारी किया। उक्त परिपत्र का प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है:

"जहाँ तक निंदा का प्रश्न है, इसे चयन वेतनमान प्रदान करने हेतु असंतोषजनक सेवा अभिलेख के रूप में नहीं माना जायेगा तथा यह चयन वेतनमान प्रदान करने में बाधक नहीं होगा। पिछले सात वर्षों की अवधि की गणना उस वर्ष से की जाएगी, जिसके लिए उसे पदोन्नति दी जानी है।"

पहले कार्यालय आदेश दिनांक 25.01.1992 और उसके बाद के परिपत्र दिनांक 23.07.1992 के आधार पर, जैसा कि यहां ऊपर दिया गया है, राज्य ने उन सभी कर्मचारियों को चयन ग्रेड देना शुरू कर दिया, जिन्होंने सेवा में अपेक्षित वर्षों की संख्या पूरी कर ली थी, भले ही उन्होंने पिछले वर्षों में निंदा अर्जित की हो लेकिन उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया था।

9. परिपत्र दिनांक 23.07.1992 के कारण उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए, जिसने विभागाध्यक्षों के मन में भ्रम और संदेह पैदा किया, कि क्या कोई कर्मचारी 9 साल, 18 साल और 27 साल की सेवा पूरा होने के बाद स्वचालित रूप से चयन ग्रेड प्राप्त करने का हकदार होगा, बावजूद इसके कि उसके द्वारा निंदा अर्जित की गई है या ऐसी अन्य टिप्पणियों की गई है, वित्त विभाग (नियम प्रभाग) द्वारा पुलिस

महानिदेशक, राजस्थान को एक और कार्यालय आदेश/पत्र दिनांक 24.07.1995 भेजा गया था। उसका प्रासंगिक भाग यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या एफ.15(10) पीएफ/कानि/90 दिनांक 24.04.1995 का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि चयन ग्रेड प्रदान करने की शर्तों में से एक यह है कि उस कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड चयन ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से संतोषजनक होना चाहिए। जिन सरकारी सेवकों को निंदा दंड से दंडित किया गया है, उनकी पदोन्नति एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है। चूँकि, निंदा दंड से पदोन्नति पर एक वर्ष का प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव चयन ग्रेड के अनुदान पर भी एक वर्ष का पड़ता है। आपके परिपत्र संख्या एफ.15 (10) पी.फोर्स/कांस्ट./90/3439 दिनांक 23.07.1992 के दूसरे पैरा में यह स्पष्ट किया गया है कि निंदा दंड का चयन ग्रेड के अनुदान देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह नियम/आदेश के अनुरूप नहीं है।"

इस कार्यालय आदेश/पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने अपनी सेवा के दौरान निंदा अर्जित की है, तो उसका चयन ग्रेड अनुदान एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन यह स्पष्टीकरण राज्य द्वारा 25.01.1992 को प्रथम कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से लगभग 3 वर्ष से अधिक अवधि की समाप्ति के बाद जारी किया गया था।

10. हालाँकि, 25.01.1992 से 24.07.1995 के बीच की अंतराल अवधि के दौरान, कुछ कर्मचारियों को निंदा अर्जित करने के बावजूद चयन ग्रेड का लाभ दिया गया था। लेकिन बाद के कार्यालय आदेश/पत्र दिनांक 24.07.1995 जारी होने के बाद, अपीलकर्ता-राज्य ने उन कर्मचारियों से राशि की वसूली शुरू कर दी, जिन्हें निंदा अर्जित करने के बावजूद चयन ग्रेड प्रदान किया गया था। इसके कारण उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिनमें से पहला देवी सिंह का मामला (सुप्रा) था जिसका उल्लेख यहाँ ऊपर किया गया है। इसके बाद के सभी मामलों में इसी प्रक्रिया की पालन की गयी।

11. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.07.1992 को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, प्रासंगिक भाग, यहां ऊपर पैरा 8 में पुन: प्रस्तुत किया गया है, एक और स्पष्टीकरण परिपत्र दिनांक 24.08.1995 जारी किया गया था। इस प्रकार, इस बाद के परिपत्र के अंतिम अनुच्छेद में निम्नलिखित शब्द शामिल हैं "जहां तक निंदा की सजा का सवाल है, इसे सेवा रिकॉर्ड में चयन ग्रेड देने में असंतोषजनक नहीं माना जाएगा और चयन ग्रेड देने में बाधा नहीं बनेगा।" जो कि इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक वी. 15(10)पी.फोर्स/कांस्ट./90/3439 दिनांक 23.07.1992 के अंतिम पैराग्राफ में उल्लिखित है, नियमों के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया था। वित्त विभाग (नियम प्रभाग) के

कार्यालय आदेश/पत्र दिनांक 24.07.1995 के साथ यह परिपत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि चयन ग्रेड प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी ने निंदा अर्जित की है, उसकी पदोन्नति पर विचार करने में कोई बाधा या रुकावट नही होगी लेकिन ऐसे अनुदान के लिए उसके मामले को एक वर्ष के लिए टाल दिया जाएगा।

12. निंदा का इस दण्ड से कर्मचारी को केवल एक वर्ष के लिए चयन ग्रेड प्रदान करने में बाधा होगी। इसकी व्याख्या इसी प्रकार की जानी चाहिए थी और प्रथम कार्यालय आदेश दिनांक 25.01.1992 को समझा जाना चाहिए था। हालाँकि, समय-समय पर कार्यालय आदेश जारी करने और राज्य द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण परिपत्र के संबंध में, चीजें बहुत अधिक जटिल और भ्रमित करने वाली हो गईं, जिसके कारण कई रिट याचिकाएं दायर की गईं और उच्च न्यायालय के एकल पीठ और डिवीजन पीठ द्वारा कई आदेश पारित किए गए। इस प्रकार हमें विवाद को विराम देने के लिए चुना गया है।

13. उपरोक्त के आलोक में, हमने डॉ. मनीष सिंघवी, विद्वान एएजी और श्री वीएन रघुपति, अपीलकर्ताओं के वकील और श्री पुनीत जैन, श्री एचडी थानवी, डॉ. मोनिका गुसाईं और श्री ऋषभ संचेती को सुना है। प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ताओं ने विस्तार से वकालत की और अभिलेखों का अवलोकन भी किया।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी-कर्मचारी के लाभ के लिए पहला निर्णय 12.12.2003 को दिया गया था, अर्थात, देवी सिंह का मामला (सुप्रा)। हालाँकि, उक्त मामले में, जो निर्णय लिया गया वह यह था कि जिस कर्मचारी को पहले ही चयन ग्रेड का लाभ दिया जा चुका है, ऐसे लाभों को अपीलकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना वापस नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार, प्राथमिक एवं बुनियादी तौर पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर फैसला देवी सिंह के पक्ष में दिया गया। हालाँकि, बाद में सिंगल पीठ या डिवीजन पीठ के समक्ष दायर किए गए मामले समान नहीं थे, बल्कि उन पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के आकस्मिक और सामान्य दृष्टिकोण के कारण थे जिन्होंने तर्क दिया और दिखाया कि मामले पूरी तरह से देवी सिंह के मामले में शामिल थे और इसलिए प्रार्थना की गई कि इन मामलों को तदनुसार निपटाया जाए, अदालतों ने अपने विवेक से ऐसा किया। आगे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि देवी सिंह के उक्त मामले का भीम सिंह बनाम राजस्थान राज्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3284/2005) के मामले में भी पालन किया गया था, जिसका निर्णय 17.01.2007 को हुआ था।

15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक कर्मचारी, जिसने 9 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, प्रथम चयन ग्रेड के अनुदान का हकदार होगा और 18 वर्ष की सेवा पूरी

होने के बाद दूसरे चयन ग्रेड और 27 साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें तीसरे सेलेक्शन ग्रेड दिया जाएगा, बशर्ते कि अंतराल अवधि के दौरान, उन्होंने अपने मौजूदा कैडर में उपलब्ध पदोन्नति अर्जित नहीं की हो और पिछले वर्षों में निंदा भी अर्जित नहीं की हो। यह मुख्य विषय और उद्देश्य प्रतीत होता है जिसके लिए पहला कार्यालय आदेश जारी किया गया था।

16. खंड 7 आगे यह स्पष्ट करता है कि केवल वे/ऐसे कर्मचारी चयन ग्रेड पाने के हकदार होंगे जिनका सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिस व्यक्ति का सेवा में रिकॉर्ड बेदाग, निष्कलन्क, स्वच्छ और निर्मल है, उसे उन लोगों की तुलना में उच्च पद पर माना जाएगा जिनका रिकॉर्ड दागदार, कलन्कित, अशुद्ध या प्रदूषित है। यह स्पष्ट रूप से एक उचित वर्गीकरण प्रतीत होता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे और कसौटी के अंतर्गत है। इसमें न तो कोई अस्पष्टता है और न ही कोई संदेह।

17. हालाँकि, विवाद को स्पष्ट करने के इरादे से, वित्त विभाग (नियम प्रभाग) द्वारा दिनांक 24.07.1995 का एक कार्यालय आदेश/पत्र पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को भेजा गया था जिसमें यह प्रदान किया गया था कि सेवा का रिकॉर्ड जो बनाया गया है वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारी को भी 'चयन ग्रेड' देने के उद्देश्य से संतोषजनक माना जाना था। इसमें आगे कहा गया है कि यदि

किसी कर्मचारी ने निंदा अर्जित की है, तो चयन ग्रेड देने का उसका मामला एक वर्ष के लिए टाल दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वह इसे पाने का हकदार होगा, लेकिन 1 साल के बाद, यानी 10 साल की सेवा पूरी करने पर, दूसरों की तुलना में, जो 9 साल की सेवा पूरी करने पर इसे प्राप्त करेगा।

18. हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि निंदा एक मामूली दंड है और राजस्थान के नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम दंड है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस कर्मचारी ने निंदा अर्जित की है वह 9, 18 या 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वचालित रूप से पदोन्नति या संबंधित चयन ग्रेड का हकदार होगा।

19. हालाँकि, हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि 25.01.1992 को जारी पहले कार्यालय आदेश और उसके बाद के स्पष्टीकरण कार्यालय आदेश/पत्र दिनांक 24.07.1995 के बीच की अंतराल अवधि के दौरान, कुछ कर्मचारियों को चयन ग्रेड का लाभ दिया गया था। अपीलकर्ता - राज्य ऐसे कर्मचारियों से वसूली का दावा करने का हकदार नहीं होगा जिन्हें इस अवधि में पहले ही लाभ दिया जा चुका है। बाद के कार्यालय आदेश/पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वे सभी कर्मचारी जिन्होंने सेवा में निंदा अर्जित की है, वे भी चयन ग्रेड के लिए पात्र होंगे, लेकिन उन्हें चयन ग्रेड का अनुदान एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। यह बिल्कुल उचित और सही वर्गीकरण प्रतीत होता है क्योंकि अन्यथा हर कर्मचारी जिसकी छवि साफ है और दूसरे

कर्मचारी, जिसने निंदा की है, उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। सेवा न्यायशास्त्र में इसकी अनुमति नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है।

20. कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि "जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए"। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का अधिदेश और आदेश है ,जिसकि हमें पालन करना आवश्यक है। किसी भी मामले में, जिन लोगों ने निंदा अर्जित की है, उनके साथ उन लोगों के बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता है जिनका सेवा रिकॉर्ड साफ-सुथरा रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दागदार, प्रदूषित, कलन्कित, अशुद्ध सेवा रिकॉर्ड वाले एक कर्मचारी की तुलना अन्य कर्मचारी से नहीं की जा सकती है, जिसने स्वच्छ, बेदाग, निष्कलंक और त्रुटिहीन सेवा रिकॉर्ड का आनंद लिया है। समानता के सिद्धांतों के सम्बन्ध में इस तरह का भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

21. चूँकि अपीलों का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर किया जाना है संक्षेप में हम इससे सुलझाना चाहेंगे। इस अनुच्छेद में दो आवश्यक संघटक हैं-

(i) कानून के समक्ष समानता

(ii) कानून का समान संरक्षण

हमारे संविधान के पूर्वजों ने अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय प्राप्त करने के लिए कानून के समक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के प्रावधान को शामिल किया। जबकि कानून की समान सुरक्षा को शामिल किया गया था ताकि समान लोगों के बीच, कानून को समान रूप से प्रशासित किया जा सके और समान रूप से स्थित व्यक्तियों को समान तरीके से व्यवस्थित रखा जा सके। लेकिन इसमें एक चेतावनी है. राज्य के पास अभी भी विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर करने की शक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि, यह उचित वर्गीकरण और भेद के आधार पर सकारात्मक रूप से भेदभाव कर सकता है, लेकिन यह एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को दूसरों से अलग करता हो।

22. मौजूदा मामले में, यह चयन ग्रेड प्रदान करने का प्रश्न है। चयन ग्रेड में समान पद पर अधिक वेतन होता है। पदोन्नति पद उच्च वेतन वाला एक उच्च पद है। चयन ग्रेड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सक्षम कर्मचारी जो पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण पदोन्नति का मौका पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, उन्हें अधिकतम पैमाने पर स्थिरता को रोकने के लिए कम से कम चयन ग्रेड में रखा जाना चाहिए। चयन ग्रेड सेवा में स्थिरता को दूर करने और परिणामस्वरूप अधिक दक्षता लाने के लिए बनाया गया था। राज्य ने उन लोगों को चयन ग्रेड देने की अनुमति दी है जिनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन जिन लोगों ने निंदा अर्जित की थी, उनके लिए

इसे एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकार, हमारे अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उचित वर्गीकरण की श्रेणी में आएगा जो संविधान के आदेश के अनुसार और समय-समय पर इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए विभिन्न निर्णयों के अनुसार स्वीकार्य है।

23. इस प्रकार, हमारी राय में, कर्मचारियों की दो श्रेणियों के बीच एक बुनियादी और मूलभूत अंतर है। अपीलकर्ता-राज्य ने सभी विवादों पर विराम लगाते हुए दिनांक 24.07.1995 को कार्यालय आदेश/पत्र जारी करना पूरी तरह उचित ठहराया। हमें नहीं लगता कि उत्तरदाताओं/कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव का कोई मामला बनाया गया है। बाद के कार्यालय आदेश/पत्र को अवैध, मनमाना, असंवैधानिक या कानून के अधिकार के बिना नहीं कहा जा सकता है। हम अपीलकर्ताओं के वकील डॉ. मनीष सिंघवी द्वारा दी गई दलीलों में योग्यता पाते हैं और इस प्रकार, इन अपीलों को अनुमति देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि उत्तरदाताओं/कर्मचारियों ने 24.07.1995 के बाद के कार्यालय आदेश/पत्र को अवैध, असंवैधानिक, मनमाना या अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण चुनौती नहीं दी थी। जब तक यह कार्यालय आदेश/पत्र मान्य है, इसे उसी तरीके और भावना से लागू किया जाना चाहिए जिसमें इसे जारी किया गया था।

24. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारी सुविचारित राय है कि डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पारित किए गए आदेशों को कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, इन्हें एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और खारिज किया जाता है। हालाँकि, 1992 से राजस्थान राज्य में चल रहे विवादों को देखते हुए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करना उचित और उपयुक्त समझते हैं:

(i) अपीलकर्ता-राज्य 25.01.1992 को अपीलकर्ता द्वारा जारी पहले कार्यालय आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को पहले से दिए गए वित्तीय लाभों की वसूली का हकदार नहीं होगा।

(ii) अपीलकर्ता दूसरे स्पष्टीकरण कार्यालय आदेश/पत्र दिनांक 24.07.1995 को जारी होने के बाद भी कर्मचारियों को भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली का हकदार नहीं होगा क्योंकि हमारे अनुसार, ऐसी राशि की वसूली से कर्मचारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

(iii) जिन कर्मचारियों ने पिछले वर्षों में अपने सेवा रिकॉर्ड के लिए निंदा अर्जित की है, वे स्वच्छ और बेदाग रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों के साथ 'चयन ग्रेड' पाने के हकदार नहीं होंगे। इसके एक वर्ष बाद ही उन्हें 'चयन ग्रेड' प्रदान किया जाएगा।

(iv) कोई भी कर्मचारी जिसे उक्त अवधि से पहले पदोन्नत किया गया है, वह 'चयन ग्रेड' के अनुदान का हकदार नहीं होगा।

25. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह और इससे जुड़ी अपीलें स्वीकार की जाती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाते हैं। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगें।

अपीलों अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आदित्य शर्मा .जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के

लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्यवन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।